प्रेषक

महानिदेशक उच्चतर शिक्षा, हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर–5, पंचकूला।

सेवा में

रजिस्ट्रार,

1. कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र।
2. महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक।
3. भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, खानपुरकलां, सोनीपत।
4. चौ0 देवी लाल विश्वविद्यालय, सिरसा।
5. चौ0 बंसीलाल विश्वविद्यालय, भिवानी
6. चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय, जीन्द।
7. इन्दिरा गांधी विश्विद्यालय, मीरपुर (रेवाड़ी)।
8. केन्द्रीय विश्वविद्यालय नारनौल (महेन्द्रगढ़)।
9. वाई0एम0सी0ए0, फरीदाबाद।
10. चौ0 चरणसिंह कृषि विश्वविद्यालय, हिसार।
11. हरियाणा राज्य के सभी राजकीय महाविद्यालय।
12. हरियाणा राज्य के सभी प्राईवेट विश्वविद्यालय।
13. अराजकीय अनुदान प्राप्त, स्वपोषित डिग्री महाविद्यालयों एवं राजकीय शिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य।

यादि क्रमांकः 3/89–2017 छा0(2)
दिनांक, पंचकूला 1/1/2018

विषयः **Submission of On Line Application for Post Matric ScholarshipScheme for SC/ST and OBC Students for the Academic Session 2017-18**

उपरोक्त विषय पर इस विभाग के पत्र क्रमांक 3/89–2017 छा0(2), दिनांक 28.8.2017, 03.10.2017, 29.11.2017 तथा 19.12.2017 की निरन्तरता में ।

विभाग के ध्यान में लाया गया है कि विश्वविद्यालयों की सेमेस्टर परीक्षाओं के कारण महाविद्यालयों के काफी संख्या में छात्र आवेदन ऑनलाईन नहीं कर पाये हैं। काफी संख्या में शिक्षा संस्थान/विश्वविद्यालय भी अपने–अपने संस्थान को उच्चतर शिक्षा निदेशालय के पोर्टल पर पंजीकृत नहीं करवा सके हैं। जन कल्याण के हित को ध्यान में रखते हुए आपसे उच्चतर शिक्षा निदेशालय द्वारा पुनः आवेदन तथा पंजीकरण की तिथि दिनांक 20.01.2018 तक बढ़ाई जाती है।

अनुरोध है कि महाविद्यालय अपने छात्रों को इस बात से सचेत करें कि वे अपने–अपने आवेदन पूर्ण प्रलेखों सहित पोर्टल पर अपलोड करें तथा महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय अपने–अपने छात्रों के आवेदन तत्काल वैरिफाई करके तथा अवार्ड रोल तैयार करके निदेशालय में भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।

ध्यान रहे जिन महाविद्यालयों ने अनुसूचित जाति के छात्रों से संबंधित विश्वविद्यालय से अनुमोदित फीस/फण्डस लिए हैं, उन्हें पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि वे छात्रों को उनसे ली गई राशि छात्रों को वापिस करके निदेशालय को अपना क्लेम निर्धारित प्रोफार्मा में प्रस्तुत करें । फीस/फण्डस लेने वाले महाविद्यालयों के क्लेम पर विचार नहीं किया जायेगा। निदेशालय के आदेशों की उल्लंघना के लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे।

उल्लेखनीय है कि जिन संस्थाओं के आवेदन प्रथम वर्ष तथा अन्य कक्षाओं के आवेदन ऑनलाईन हो गये हैं तथा प्राचार्य द्वारा वैरिफाई भी कर दिये गये हैं, वे क्लेम Excel Sheet में सूची तैयार करके विभागीय ऑडिटर से वैरिफाई करवा कर सरकार द्वारा दिया जाने वाला नॉन रिफण्डेबल/मैनेजमेंट फण्ड का भुगतान प्राप्त करें। पुनः ध्यान में लाया जाता है कि कोई भी महाविद्यालय अनुसूचित जाति के छात्रों, जो PMS for SC Scheme के अन्तर्गत कवर होते हैं, से फीस/फण्डस की मांग नहीं करेगा। आदेशों की उल्लंघना के गम्भीर परिणाम हो सकते हैं।

नोटः राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य केवल ओ0बी0सी0 छात्रों बारे कार्यवाही करेंगे।

Kuldeep 1/1/18

उप निदेशक छात्रवृति,
कृते महानिदेशक उच्चतर शिक्षा,
हरियाणा,पंचकूला